

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.19(2)साप्र/2/2025

जयपुर, दिनांक : 01.07.2025

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटि	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	33 / 2017	श्री नितिन शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा जयपुर	31.08.2051	एच-508, गांधीनगर
2.	34 / 2017	श्री कुलदीप सिंह, प्रहरी, राजस्थान विधान सभा जयपुर	30.06.2052	एच-524, गांधीनगर
3.	45 / 2017	श्री रामचन्द्र मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीडन कम-1, जयपुर महानगर, जयपुर।	31.12.2043	एच-532, गांधीनगर
4.	51 / 2017	श्री रामकिशन मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग, जयपुर	30.06.2048	एच-534, गांधीनगर
5.	60 / 2017	श्री सुरेन्द्र कुमार बैरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अति.मुख्य अभियंता सा.नि.वि., जयपुर	31.03.2032	एच-535, गांधीनगर
6.	63 / 2017	श्री अमित कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग, जयपुर	28.02.2041	एच-562, गांधीनगर
7.	64 / 2017	श्री जयराम नायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर	31.01.2046	एच-563, गांधीनगर
8.	65 / 2017	श्री युवराज खत्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्याय विभाग, जयपुर	31.01.2053	एच-566, गांधीनगर
9.	66 / 2017	श्री प्रहलाद सैनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्याय विभाग, जयपुर	30.09.2049	एच-567, गांधीनगर



10.	74 / 2017	श्री करण सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जनाना अस्पताल जयपुर	31.01.2052	एच-568, गांधीनगर
11.	75 / 2017	श्रीमती नीलम गुर्जर, वनरक्षक, वन विभाग अरण्य भवन जयपुर	31.08.2049	एच-577, गांधीनगर
12.	76 / 2017	श्री मुकेश कुमार चौधरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	31.07.2048	एच-578, गांधीनगर
13.	79 / 2017	श्री हर्ष मगी गैरोला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	31.08.2039	एच-579, गांधीनगर
14.	80 / 2017	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	30.06.2052	एच-586, गांधीनगर
15.	82 / 2017	श्रीमती लक्ष्मी देवी, सफाई कर्मचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	31.05.2033	एच-589, गांधीनगर
16.	88 / 2017	श्री रवि कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग जयपुर	31.05.2049	एच-592, गांधीनगर
17.	90 / 2017	श्रीमती विमला वर्मा, दीधी परिचारक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर	30.09.2030	एच-597, गांधीनगर
18.	94 / 2017	श्री मुकेश कुमार वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग महानगर जयपुर	30.11.2034	एच-651, गांधीनगर
19.	104 / 2017	श्री दीपक वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधायिका जयपुर	31.08.2050	एच-654, गांधीनगर
20.	111 / 2017	श्री विनोद बहादुर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर	30.10.2051	एच-659, गांधीनगर
21.	112 / 2017	श्री देव बहादुर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षा विभाग, जयपुर	31.08.2037	एच-855, गांधीनगर
22.	114 / 2017	श्री सीताराम बुनकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग, जयपुर	31.08.2034	एच-865, गांधीनगर

23.	5/2018	श्री थानेश्वर माथुर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, जयपुर	30.09.2031	एच-888, गांधीनगर
24.	8/2018	श्री रहमत अली खान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा जयपुर	31.05.2043	एच-892, गांधीनगर
25.	9/2018	श्री सुरेन्द्र मेहरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर	31.08.2057	एच-897, गांधीनगर
26.	10/2018	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर	31.07.2047	एच-902, गांधीनगर
27.	11/2018	श्री सन्तराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.08.2056	एच-903, गांधीनगर
28.	12/2018	श्री अजय शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.07.2059	एच-905, गांधीनगर
29.	13/2018	श्री भीम सिंह मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.07.2042	एच-907, गांधीनगर
30.	15/2018	श्री धनराज सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.07.2056	6/1, गांधीनगर
31.	16/2018	श्री साधुराम गुर्जर, वन रक्षक, वन विभाग, जयपुर	31.07.2043	6/2, गांधीनगर
32.	17/2018	सुश्री कान्ता कुमारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा, जयपुर	31.07.2045	6/3, गांधीनगर
33.	19/2018	श्री बाबूलाल मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर	31.03.2030	6/4, गांधीनगर
34.	21/2018	श्री मनोज कुमार मीना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पशुपालन विभाग, जयपुर	31.05.2048	6/5, गांधीनगर
35.	22/2018	श्री मान सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.12.2043	6/6, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ/ न्याय विभाग/ आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग/ राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग/ पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग/ शिक्षा विभाग/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. अति. मुख्य अभियंता/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, सावर्जनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

5. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीडन क्रम-1, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. अधीक्षक, जनाना अस्पताल/ वन विभाग/ प0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
14. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव